राजस्थान–सरकार

न्यायालय जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी आशीष मोदी (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 06/2022

1. ग्राम पंचायत देवली पंचायत समिति सुवाणा तहसील हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा जरिये सरपंच।

बनाम

1. भगवान लाल पुत्र घीसा गुर्जर निवासी कुम्हारिया खेडा ग्राम पंचायत देवली, पं0स0 सुवाणा, जिला भीलवाड़ा
2. ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत देवली, पंचायत समिति, सुवाणा जिला भीलवाड़ा
3. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, सुवाणा जिला भीलवाड़ा।

न्यायालय जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

–प्रार्थी/निगराकार

–अप्रार्थीगण/गैर निगराकार

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतराज अधिनियम, 1994 विरूद्ध निर्णय ग्राम पंचायत देवली, पं0स0 सुवाणा पट्टा संख्या 24 दिनांक 18.05.2017।

उपस्थित –

1. श्री पृथ्वीराज चौधरी – अधिवक्ता निगराकार।
2. श्री भैरू लाल बापना– अधिवक्ता गैर निगराकार संख्या 1।

:निर्णय:

निर्णय दिनांक :13.06.2023

निगराकार द्वारा जरिये अधिवक्ता यह निगरानी अंतर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि गैर निगराकार संख्या 01 द्वारा अपने पक्ष मे आबादी हल्का कुम्हारिया खेड़ा, ग्राम पंचायत देवली पं.स. सुवाणा तहसील हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा में नपती 73 बाई 38 फीट जिसका पडौस पूर्व में आबादी भूमि, पश्चिम में आंगनबाडी केन्द्र, उत्तर मे आम रास्ता, दक्षिण मे सार्वजनिक कुआं का आवासीय भूमि का पट्टा संख्या 24 दिनांक 18.05.2017 को ग्राम पंचायत के जरिये प्राप्त किया गया है जो कि दुर्भावना से ग्रसित व मिलीभगती के आधार आंगन बाडी केन्द्र की भूमि व ग्राम पंचायत की आबादी भूमि को हड़प करने की नियत से तत्कालीन उप संरपच द्वारा मिलीभगती के जरिये गुपचुप तरीके से एक ही दिन में पट्टा जारी किया गया है, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो के विपरीत होने से निरस्त होने योग्य है।

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

गैर निगराकार संख्या 01 द्वारा अपने जवाब में अंकन किया गया कि गैर निगराकार सं. 1 को जो पट्टे वाला भूखण्ड ग्राम पंचायत देवली द्वारा दिया गया है वह सही तौर से दिया गया है। उपसरपंच, गैर निगराकार सं. 1 का नजदीकी रिश्तेदार नहीं है। ग्राम पंचायत देवली के सरपंच मांगीलाल जाट की मृत्यु हो जाने के पश्चात् उपसरपंच शंकरलाल गुर्जर को सरपंच का चार्ज अवश्य मिला था, किन्तु उसने पट्टा बुक आदि का दुरूपयोग किसी प्रकार से नहीं किया। पट्टा ग्राम पंचायत, देवली के निर्वाचित सरपंच मागीलाल जाट ने ही दिनांक 18.05.2017 को जारी किया था जिसका पंजीयन दिनांक 30.11.2017 को ग्राम पंचायत के निर्वाचित उपसरपंच शंकरलाल गुर्जर जिसे कि सरपंच मांगीलाल जाट का दिनांक 13.07.2017 का देहान्त हो जाने से ग्राम पंचायत देवली के सरपंच का चार्ज मिला था, उसने विधिवत तौर से इस पट्टे का पंजीयन गैर निगराकार सं. 1 के पक्ष में पंचायत की ओर से कराया था। एक पंजीकृत दस्तावेज को निरस्त करने का अधिकार न्यायालय आपको नहीं होने से यह निगरानी निरस्त होने योग्य है। पट्टे को देखने मात्र से ही स्पष्ट है कि यह पट्टा दिनांक 18.05.2017 को तत्कालीन सरपंच मांगीलाल जाट द्वारा प्रशासन गांवों के संग अभियान 2017 शिविर देवली पर जारी किया गया था जिसमे उपसरपंच शंकरलाल गुर्जर की कोई भूमिका नहीं थी और न ही उसके द्वारा पट्टा बुक का किसी भी तरह से दुरूपयोग किया गया है। इसके अलावा शिविर में पट्टा वितरण अभियान के तहत करीब 50–60 अन्य पट्टे भी ग्राम पंचायत देवली द्वारा जारी किये गये थे।

गैर निगराकार संख्या 01 ने अपने जवाब में आगे अवगत कराया कि दिनांक 18.05.2017 को जो पट्टा विलेख गैर निगराकार सं. 1 भगवानलाल पिता घीसा जी गुर्जर के पक्ष में निष्पादित किया गया था वह नियम 157 (1) के तहत सरपंच मांगीलाल जाट द्वारा जारी किया गया था। पट्टा शुल्क की राशि 200/– रूपये रसीद सं. 03/01 दिनांक 18.05.2017 को पंचायत कोष में जमा करायी गयी थी। भूखण्ड पर गैर निगराकार सं. 1 का कब्जा कई वर्षो से चला आ रहा है व इसके चारों ओर गैर निगराकार सं. 1 ने चारदीवारी बना रखी है। आंगनबाड़ी केन्द्र गैर निगराकार सं. 1 के पट्टे की भूमि में नहीं आता है, बल्कि वह इसके बाहर बना हुआ है। गैर निगराकार सं. 1 को ग्राम पंचायत के तात्कालीन सरपंच मांगीलाल जाट द्वारा दिनांक 18.05.2017 को यह पट्टा जारी किया गया था जिसकी जानकारी वर्तमान सरपंच को तत्समय से ही थी क्योंकि वर्तमान सरपंच, पूर्व सरपंच मांगीलाल जाट की पुत्रवधू है। दिनांक 12.02.2022 को ग्राम पंचायत को इस पट्टे की जानकारी होना बताया जाना सरासर गलत है। पट्टे वाला यह भूखण्ड सार्वजनिक उपयोग वाली भूमि का नहीं है बल्कि यह ग्राम की आबादी भूमि का एक सामान्य भूखण्ड है। ग्राम पंचायत देवली ने गैर निगराकार सं. 1 को इस भूखण्ड बाबत दिनांक 27.12.2021 को नोटिस जारी किया था जिस पर वर्तमान सरपंच श्रीमती महिमा जाट के ही हस्ताक्षर हैं जिससे स्पष्ट है कि उसे उक्त पट्टे की पूरी जानकारी थी। ग्राम पंचायत देवली द्वारा जारी किये गये नोटिस दिनांक 27.12.2021 का मुझ गैर निगराकार सं. ने दिनांक 14.02.2022 को ग्राम पंचायत देवली को वापस जवाब प्रेषित कर दिया था। निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी बेरूनमियाद होने से निरस्तनीय है।

अधिवक्ता गैर निगराकार संख्या 01 ने अपनी बहस में जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि उक्त विवादित जायदाद पर गैर निगराकार संख्या 01 का वर्षो से कब्जा है, जिसका ग्राम पंचायत के तात्कालीन सरपंच ने दिनांक 18.05.2017 को विधिवत पट्टा जारी कर, ग्राम पंचायत के कार्यवाहक सरपंच द्वारा दिनांक 30.11.2017 को उसे उप पंजीयक, हमीरगढ़ के यहा पंजीकृत कराया गया है। साथ ही निवेदन किया गया कि प्रश्नगत पट्टा चूंकि अब रजिस्टर्ड दस्तावेज हो गया है एवं पंजीकृत दस्तावेज को निरस्त करने का अधिकार न्यायालय आपको नहीं है। अतः यह निगरानी सव्यय खारिज फरमायी जावें। गैर निगराकार संख्या 01 के अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस के समर्थन में **मा0 राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के डिवीजन बैंच** द्वारा पारित न्यायिक दृष्टान्त **2015 (2) RRT 967 Manohar lal V/S District collector, Barmer & Ors.** प्रस्तुत किया गया।

उभयपक्ष की बहस ध्यानपूर्वक सुनी गई एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का गहनता से अवलोकन एवं परीक्षण किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध प्रश्नगत पट्टा संख्या 24 की प्रमाणित प्रतिलिपि के अवलोकन से जाहिर आया कि उक्त पट्टे पर ग्राम पंचायत द्वारा जमा की जाने वाली 200/– रूपये की राशि की रसीद संख्या का कही भी अंकन नहीं किया गया है। साथ ही ग्राम पंचायत, देवली द्वारा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994–राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(i) के तहत गैर निगराकार संख्या 01 को पट्टा जारी किया जाना प्रश्नगत पट्टे पर अंकित किया हुआ है। राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(i) अनुसार जहाँ व्यक्ति आबादी भूमि में पुराने गृह का कब्जा रखते हैं और पट्टा जारी किये जाने के इच्छुक है, उन्हें पट्टा जारी किया जाता है जिसमें भी इन नियमों के प्रारम्भ की तारीख से पूर्व, 50 वर्षों से अधिक पूर्व में संनिर्मित पुराने गृहों के निए 100/– रू0 एवं 50 वर्षों के दौरान संनिर्मित पुराने गृहों के लिए 200/– रू0 नियत किये हुए है। अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत, देवली की प्रश्नगत जायदाद के पट्टे से संबंधित मिसल पत्रावली में भी ग्राम पंचायत, देवली द्वारा 200/– रू0 की राशि हेतु जारी रसीद अथवा कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जिससे यह प्रतीत होता है कि ग्राम पंचायत, देवली द्वारा नियमानुसार शुल्क राशि जमा नहीं की गई है।

इसी प्रकार प्रकरण से संबंधित ग्राम पंचायत, देवली की पट्टा पत्रावली का अवलोकन किया गया जिसमें पाया गया कि गैर निगराकार संख्या 01 भगवान लाल द्वारा ग्राम पंचायत, देवली के समक्ष स्वयं के पुश्तैनी मकान का नियम 157(i) के तहत पट्टा जारी करने बाबत् जो आवेदन प्रस्तुत किया गया उस पर कोई दिनांक अंकित नहीं है एवं न ही उसमें मकान कितने वर्ष पुराना है? का कही पर भी अंकन किया हुआ है तथा उक्त आवेदन में कब्जे की अवधि का खुलासा भी नहीं किया गया है, जबकि निरीक्षण समिति द्वारा भी यह खुलासा किया जाना होता है कि निर्मित मकान मौके पर विद्यमान है अथवा नहीं। प्रार्थी द्वारा जिस मकान/आवास हेतु पट्टा चाहने बाबत् आवेदन किया, उस मकान के फोटोग्राफ्स भी उक्त पत्रावली में कहीं भी प्रस्तुत नहीं किये गये है। पत्रावली में उपलब्ध माता/पिता/भाई/ बहन सहमति एवं अनापत्ति प्रमाण पत्र पर भी वार्डपंच अथवा सरपंच के हस्ताक्षर नहीं है एवं ग्राम पंचायत में पुश्तैनी मकान के पट्टे हेतु पटवारी रिपोर्ट भी बिना पटवारी के हस्ताक्षर की बनी हुई है, जिसमें मकान का फोटो व आबादी भूमि की आराजी संख्या भी अनुपलब्ध है। साथ ही पड़ौसियों के सहमति एवं अनापत्ति प्रमाण पत्र पर भी किसी भी पडौसी का नाम व हस्ताक्षर अंकित नहीं है एवं गैर निगराकार संख्या 01 द्वारा पट्टे बाबत् प्रस्तुत शपथ पत्र में ग्राम का नाम, प्रश्नगत मकान के पडौस, नाप इत्यादि का अंकन भी नहीं किया हुआ है। इस प्रकार ग्राम पंचायत, देवली द्वारा प्रश्नगत पट्टा जारी करने की पूरी प्रक्रिया ही संदेहास्पद प्रतीत होती है।

जिला कलक्टर

गैर निगराकार संख्या 01 के अधिवक्ता द्वारा **मा0 राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के डिवीजन बैंच** द्वारा पारित न्यायिक दृष्टान्त **2015 (2) RRT 967 Manohar lal V/S District collector, Barmer & Ors.** प्रस्तुत किया गया उसमें भूमि विक्रय की निगरानी क्षेत्राधिकारिता के अंतर्गत कलेक्टर द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र अपास्त नहीं किया जा सकता का निर्णय दिया गया है, किन्तु इस मामले में ग्राम पंचायत द्वारा जो पट्टा गैर निगराकार संख्या 01 के पक्ष में दिया जाकर उसका पंजीयन कराया गया है, वह कोई विक्रय करार द्वारा अथवा किसी अन्य व्यक्ति से क्रय–विक्रय नहीं किया गया है एवं न ही वह कोई विक्रय विलेख है, इसलिए यह रजिस्टर्ड विक्रय पत्र की श्रेणी में नहीं आएगा और उसकी वैधता की जांच करने और नियमानुसार नहीं होने पर उसे खारिज करने का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को है। **मा0 राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के डिवीजन बैंच स्पेशल अपील रिट नं. 918/2017 निर्णय दिनांक 23.10.2018 ईशाक खान बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य** में भी यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि **"राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994–धारा 97–राज0 पंचायती राज नियम, 1996–नियम 157–पंजीकरण अधिनियम, 1908–ग्राम पंचायत द्वारा जारी किये गये पट्टे के पंजीकरण का प्रभाव–यदि जारी किया गया पट्टा अवैधानिक तथा शून्य पाया जाये तो स्वयं पंजीकरण ही अधिनियम की धारा 97 की शक्तियों का प्रयोग करने हेतु कोई भी प्रभाव नहीं रखेगा।"**

उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचन अनुसार निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार योग्य ठहरती है एवं ग्राम पंचायत, देवली के तात्कालीन सरपंच द्वारा गैर निगराकार संख्या 01 के पक्ष में राजस्थान पंचायतीराज नियम, 1996 के नियम 157(1) के तहत जारी पट्टे में उक्त नियमों की पूर्ण पालना नहीं किया जाना स्पष्ट होने से प्रश्नगत पट्टा खारिज किया जाना उचित है। अतएव–

आदेश

अतः निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी अंतर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 स्वीकार की जाती है एवं ग्राम पंचायत देवली, पंचायत समिति सुवाणा, जिला भीलवाड़ा द्वारा गैर निगराकार संख्या 01 भगवान लाल पुत्र घीसा गुर्जर निवासी कुमारिया खेडा, ग्रा0पं0 देवली के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 24 दिनांकित 18.05.2017 विधिविरूद्ध होने एवं नियमानुसार जारी नहीं किये जाने से अपास्त/खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति पालनार्थ मय अधीनस्थ न्यायालय का तलबिदा रिकॉर्ड ग्राम पंचायत, देवली, पंचायत समिति, सुवाणा, जिला भीलवाड़ा को प्रेषित की जावें।

आदेश आज दिनांक 13.06.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

13/6/23

(आशीष मोदी)
जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा